

भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका की विवेचना----

भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में 'धर्म' और साम्प्रदायिकता अत्यंत प्रभावशाली तत्व माना जाता है। धर्म का प्रयोग राजनीति में जहाँ एक ओर तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वहीं दूसरी ओर प्रभाव और शक्ति अर्जित करने का भी धर्म माध्यम मान लिया जाता है। जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी और जय गुरुदेव की राजनीतिक शक्ति की आधारशिला उनके अपने अपने साम्प्रदायों में अनुयायियों की संख्या बल है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, चुनावों में समर्थन और मत प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है जनता से की जाने वाली अपीलें, उन्हें दिए जाने वाले आदेशों, निर्वाचनों में प्रत्याशियों के चयन तथा मतदान व्यवहार में धर्म का राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलता है। धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनाए जाने के बाद भी धर्म और साम्प्रदायिक भारतीय राजनीति के स्वरूप को निम्नलिखित ढंग से प्रभावित करते रहे हैं----

1. धर्म और राजनीतिक दल:--स्वाधीनता के बाद पंथ और साम्प्रदाय के आधार पर भारत में राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य परिषद, हिन्दू महासभा, आदि राजनीतिक दलों के निर्माण में पंथिक और साम्प्रदायिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि साम्प्रदायिक एक रोग है और वह भी संक्रामक तो इन दलों के शासन और राजनीति पर प्रभाव को सहज ही आंका जा सकता है। ये साम्प्रदायिक दल पंथ को राजनीति में प्रधानता देते हैं, पंथ के आधार पर चुनावों में प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं और साम्प्रदाय के नाम पर वोट मांगते हैं। चुनावों में धार्मिक मुद्दे जैसे गौ-वध को बन्द करवाने, राम मंदिर का निर्माण आदि का प्रयत्न करते हैं। प्रो. मॉरिस जोन्स ने कहा है, "यदि साम्प्रदायिकता को संकुचित अर्थ में लिया जाय अर्थात् कोई राजनीतिक दल किसी विशेष पंथिक समुदाय के राजनीतिक दलों की रक्षा के लिए बनी हो तो कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से अपने को साम्प्रदायिक कहती हैं जैसे मुस्लिम लीग जो भारत में सिर्फ दक्षिण भारत में रह गई है और जो मालाबार मोपला समुदाय के बल पर केवल केरल में ही शक्तिशाली है।" जोन्स दल के बारे में मॉरिस जोन्स लिखते हैं, जब तक कट्टरता की मनोवृत्ति से पूर्ण आर.एस.एस.जिसमें हिन्दू सांस्कृतिक जाश और सैन्यवादी ट्रेनिंग दोनों का संयोग है जोन्स के आइड में जुटकर काम करता रहेगा, तब तक साम्प्रदायिकता इस पार्टी का एक महत्वपूर्ण पहलू बनी रहेगी।

यदि साम्प्रदायिकता को व्यापक अर्थ में लिया जाय अर्थात् सम्पूर्ण हिन्दू समाज के भीतर किसी सामाजिक धार्मिक समुदाय के साथ सम्बन्ध के रूप लिया जाय तो सभी पार्टियों में किसी न किसी स्तर पर और कुछ न कुछ मात्रा में ऐसी साम्प्रदायिकता अवश्य मिलेगी, यहाँ तक कि कांग्रेस भी इससे मुक्त नहीं है केरल में ईसाई समुदाय के साथ कांग्रेस का ऐसा गठजोड़ रहा है कि इसे संकुचित दृष्टि से भी साम्प्रदायिक कहा गया है यहाँ तक कि साम्प्रदायिकों ने भी कुछ जगहों पर और कतिपय प्रयोजनों के लिए साम्प्रदायिक क्षेत्र तैयार कर लिए हैं।

2. धर्म और निर्वाचन ---- भारत में अधिकांश राजनीतिक दल और उनके नेता चुनावों में पंथ और साम्प्रदाय की दलीलों के आधार पर वोट मांगते हैं। वोट बटोरने के लिए मठाधीशों इमामों, पादरियों और साधुओं के साथ सांठ गांठ की जाती है। मतदान के अवसर पर मत मांगने वाले और मतदान करने वाले के आचरण पर पंथिक तत्व छाप रहते हैं। मार्च 1977 और जनवरी 1980 के लोकसभा चुनावों के दिनों में दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम की भूमिका से आसानी से यह समझा जा सकता है कि पंथिक नेता राजनीतिक दलों से मुस्लिम समुदाय के वोटों का किस प्रकार सौदा करते हैं? राजनीतिक नेता के भौतिक शाही इमाम ने चुनाव सभाओं में भाषण दिए और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। किसी संवाददाता ने लिखा है कि, "सवाल उठता है कि समाजवाद और गणतंत्र की बात करनेवाले अगर इमाम के नाम से वोट पाना चाहते हैं तो हो सकता है कि बलराज मधोक जैसे लोग शंकराचार्य के नाम पर वोट मांगने लगे।

3. राजनीति में धार्मिक दबाव गुट-----साम्प्रदायिक संगठन भारतीय राजनीति में सशक्त दबाव समूहों की भूमिका अदा करने लगे हैं। ये पंथिक गुट शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं और कभी कभी अपने पक्ष में अनुकूल निर्णय भी करवाते हैं। उदाहरणार्थ, हिन्दुओं की आपत्ति और आलोचना के बावजूद हिन्दू कोड बिल पास कर दिया गया, किन्तु दूसरे समुदाय के सम्बन्ध में ऐसा कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सका। स्वतंत्रता के बाद अनेक मुस्लिम संगठनों, जैसे जमीयत उल उलेमा ए-हिन्द, अमरते शरिया, जमायते इस्लामी, आदि ने कम से कम तीन बातों के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित कर दबाव गुटों की भूमिका अदा की है।

4. धर्म के आधार पर पंथिक राज्यों की माँग----कई बार पंथिक रूप से पंथ के आधार पर पंथिक राज्यों की माँग भी की जाती रही है। अकाली दल द्वारा पंजाबी सूबे की माँग ऊपरी तौर से भाषायी आधार की माँग नजर आती है, किन्तु यथार्थ में यह पंथ के आधार पर ही पंथिक राज्य की माँग की थी। 12 नवम्बर, 1949 को मास्टर तारासिंह ने पूर्वी पंजाब में एक सिक्ख प्रांत की माँग करते हुए कहा कि पूर्वी पंजाब के हिन्दू सकीर्ण हृदय वाले साम्प्रदायवादी हो गए हैं और सिक्खों को उनसे उचित व्यवहार की आशा नहीं रह गयी।

5. धर्म और राष्ट्रीय एकता----पंथ और साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए धातक माने जाते हैं। धार्मिक मतभेदों के परिणामस्वरूप ही हमारे देश का विघटन हुआ था और उसी के कारण आज भी विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं।

आगे, धर्मवाद।